अध्याय - 5

औषधियों का उत्पादन एवं गुणवत्ता-परीक्षण

अध्याय 5: औषधियों का उत्पादन एवं गुणवत्ता परीक्षण

राज्य में दो आयुष औषधि निर्माणशालाएँ, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ एवं राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, पीलीभीत तथा एक राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ है। यह अध्याय नमूना जाँच हेतु चयनित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में औषधियों के उत्पादन, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधियों के परीक्षण तथा अन्य मुद्दों से संबंधित है।

5.1 राजकीय औषधि निर्माणशाला में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का उत्पादन

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1949 में गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। इसे औषधि उत्पादन के लिए राज्य बजट से धनराशि प्राप्त होती है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के उत्पादन में प्रावधानित उतनी ही धनराशि के सापेक्ष कुल ₹ 22.86 करोड़ तथा ₹ 8.08 करोड़ व्यय किए, जिसको **तालिका-7** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 7: राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा की गई मांग तथा उसके सापेक्ष आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुर्वेद			यूनानी		
	मांग	आवंटन	व्यय	मांग	आवंटन	व्यय
2018-19	5.00	2.98	2.98	0.50	0.50	0.50
2019-20	5.00	3.60	3.60	1.00	0.75	0.75
2020-21	5.00	5.00	5.00	1.00	1.21	1.21
2021-22	5.50	6.00	6.00	1.50	2.81	2.81
2022-23	6.60	5.28	5.28	2.00	2.81	2.81
योग	**27.10**	**22.86**	**22.86**	**6.00**	**8.08**	**8.08**

(स्रोत: राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ)

औषधि निर्माणशाला के संचालन के निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

5.1.1 अनुमोदित औषधियों की अधिकतम संख्या का उत्पादन न किया जाना

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के पास 388 आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति है। राज्य सरकार ने कुल 130 आयुर्वेदिक[1] और 85 यूनानी[2] औषधियों को जिसे राज्य औषधि सूची के रूप में इंगित किया गया है, अनुमोदित किया (सितंबर 1999 और अप्रैल 2018), जिन्हें राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निर्माणशालाओं में उत्पादित किया जाना था। **चार्ट-3** में दिए गये विवरण राज्य औषधि सूची में सम्मलित तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में उत्पादित औषधियों की वर्षवार स्थिति को इंगित करते हैं:

चार्ट-3: राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ द्वारा उत्पादित औषधियां और राज्य औषधि सूची में सम्मिलित औषधियां

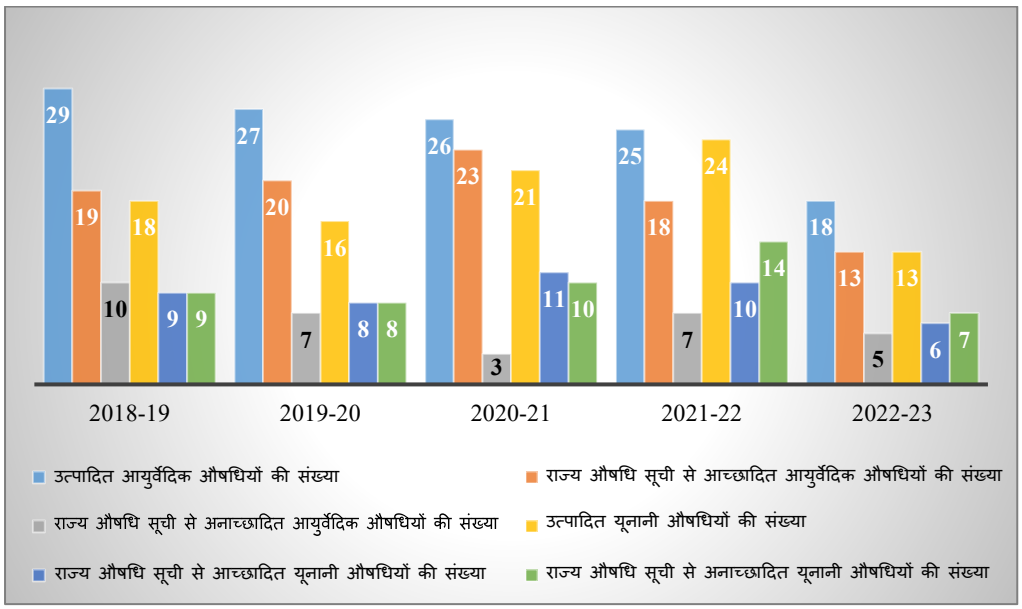

(स्रोत: राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ)

उपरोक्त चार्ट यह प्रदर्शित करता है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, 130 और 85 (कुल 215) स्वीकृत आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की सूची के सापेक्ष प्रति वर्ष औसतन 25 आयुर्वेदिक औषधियों (19.23 प्रतिशत) और 18.4 यूनानी औषधियों (21.65 प्रतिशत) का उत्पादन किया गया था जिनमें से 16 औषधियाँ राज्य औषधि सूची में सम्मिलित नहीं थीं।

---

[1] क्रमशः 50 और 80 औषधियाँ (कुल 130) दिनांक 28.09.1999 और 11.04.2018 के शासकीय आदेशों के अंतर्गत अनुमोदित की गई।

[2] क्रमशः 42 और 43 औषधियाँ (कुल 85) दिनांक 28.09.1999 और 11.04.2018 के शासकीय आदेशों के अंतर्गत अनुमोदित की गई।

शासन ने (जनवरी 2025) कहा कि यूनानी औषधि निर्माणशाला भवन के हस्तांतरण के पश्चात औषधियों का उत्पादन बढ़ेगा और यह भी कहा कि औषधि निर्माणशाला की क्षमता का अधिकतम उपयोग किये जाने हेतु बजट में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मात्र यूनानी औषधि निर्माणशाला भवन निर्माणाधीन था जैसा कि प्रस्तर 5.2.1 में चर्चा की गई है जबकि आयुर्वेदिक औषधियाँ भी उत्पादित नहीं की गईं थी। राज्य सरकार को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधि से धनराशि उपलब्ध कराकर औषधि निर्माणशाला की उत्पादन क्षमता का उपयोग करना चाहिए था।

5.1.2 औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न होना

तालिका-8 में दिए गए विवरण वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उनके सापेक्ष उपलब्द्धियों की स्थिति को इंगित करते हैं:

तालिका 8: राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में निर्मित औषधियों के संबंध में लक्ष्यों और उनके सापेक्ष उपलब्धियों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	आयुर्वेदिक औषधियां				यूनानी औषधियां			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	औषधियों की संख्या	उत्पादन (कि.ग्रा.)	औषधियों की संख्या	उत्पादन (कि.ग्रा.)	औषधियों की संख्या	उत्पादन (कि.ग्रा.)	औषधियों की संख्या	उत्पादन (कि.ग्रा.)
2018-19	60	80,180.00	29	38,364.20	25	19,161.00	18	10,134.50
2019-20	29	55,546.00	27	52,588.00	22	12,513.00	16	15,846.50
2020-21	42	100,319.00	26	53,866.05	36	32,903.00	21	14,472.75
2021-22	42	93,470.00	25	84,875.00	32	35,792.00	24	34,685.50
2022-23	44	195,622.00	18	39,294.25	30	60,000.00	13	13,037.75
योग	**217**	**525,137.00**	**125**	**268,987.5**	**145**	**160,369.00**	**92**	**88,177.00**

(स्रोत: राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि 2018-19 से 2022-23 के मध्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति 59.94 प्रतिशत थी, जबकि मात्रा के सन्दर्भ में यह 51.35 प्रतिशत थी। निधि की अनुपलब्धता और कच्चे माल की विलम्बित आपूर्ति (2022-23) के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

शासन ने (जनवरी 2025) कहा कि आवश्यकता के अनुसार बजट उपलब्ध कराया गया है, जिसे और बढ़ाया जा रहा है। उत्तर पुष्टि करता है कि औषधि निर्माणशाला को सीमित धन उपलब्द्ध कराया गया था तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशानिर्देशों में राजकीय औषधि निर्माणशालाओं से औषधियां क्रय

किये जाने का प्रावधान था, तथापि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत औषधि क्रय करने के लिए प्राप्त सम्पूर्ण धन का उपयोग "इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड" से औषधि क्रय करने में किया गया था।

5.2 औषधि निर्माणशाला के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण

5.2.1 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ परिसर में यूनानी औषधि निर्माणशाला की स्थापना में विलम्ब

यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों को समय पर औषधियों की आपूर्ति और यूनानी औषधियों के उत्पादन हेतु एक अलग यूनानी औषधि निर्माणशाला की अनुपलब्धता के कारण प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने औषधि निर्माणशाला के निर्माण के लिए ₹ 4.81 करोड़[3] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2019)। राज्य सरकार ने निर्माणाधीन यूनानी औषधि निर्माणशाला के लिए मशीनरी और उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की (जनवरी 2022)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ परिसर में यूनानी औषधि निर्माणशाला के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित (मार्च 2018) "उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड" के साथ समझौता ज्ञापन पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया गया (फरवरी 2019) तथा 12 महीने में कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि निर्धारित की गयी। दूसरी किश्त (₹ 232.05 लाख) को अवमुक्त करने के लिए निर्गत शासनादेश की शर्तों 10 और 11 में उल्लिखित था कि परियोजना अनुमोदित लागत में ही पूर्ण की जानी चाहिए तथा बाद में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। कार्यदायी संस्था को ₹ 1.49 करोड़, ₹ 2.32 करोड़ और ₹ 0.76 करोड़ (कुल: ₹ 4.81 करोड़) की धनराशि राज्य सरकार द्वारा क्रमशः मार्च 2019, फरवरी 2020 और फरवरी 2021 में निर्गत[4] की गयी। फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण स्वीकृत लागत ₹4.81 करोड़ (5 प्रतिशत धरोहर राशि काटने के

---

[3] उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ ने ₹ 5.80 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। परियोजना निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग ने इसे ₹ 4.81 करोड़ आंकलित किया। अधिशासी अभियंता, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ. ने कार्य के लिए ₹ 4.81 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) का विस्तृत अगणन प्रस्तुत किया।

[4] फरवरी 2019, फरवरी 2020 और सितंबर 2020 में कुल ₹ 4.57 करोड़ अवमुक्त किए गए। शासनादेश (दिसंबर 2020) की शर्त 19 के अनुसार, 5 प्रतिशत की अंतिम किस्त भवन हस्तांतरण के बाद अवमुक्त की जानी थी।

पश्चात) निर्गत किये जाने के पश्चात कार्यदायी संस्था ने अंतिम किश्त निर्गत होने के 3 वर्षों पश्चात (कार्य पूर्णता की अवधि 12 महीने के सापेक्ष) भवन पूर्ण एवं हस्तांतरित (फरवरी 2024) किया|

- सिविल कार्यों हेतु सभी मानक अनुबंधों में "समय" को अनुबंध सार माना जाता है, और निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करने में विफलता की स्थिति में ठेकेदार से, अनुमानित लागत के एक प्रतिशत की दैनिक दर के साथ 10 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक, दण्ड की वसूली की जाती है। कार्यदायी संस्था के साथ किए गए अनुबंध में विलंबित कार्य पूर्णता के सापेक्ष प्रति दिन ₹ 500 की दर से दण्ड का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त फरवरी 2024 तक दण्ड के रूप में आकलित ₹ 7.15 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था से वसूल नहीं की गयी। फलस्वरूप कार्यदायी संस्था को अनुचित लाभ दिया गया तथा एक अलग यूनानी औषधि निर्माणशाला उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण होने में भी विलम्ब हुआ।

शासन ने (जनवरी 2025) कहा कि विलंब के लिए कार्यदायी संस्था से दण्ड की वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संस्था ने कहा कि विलंब कोरोना वायरस (कोविड) महामारी के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दूसरा लॉकडाउन मई 2021 में समाप्त हो चुका था, जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा फरवरी 2024 में अर्थात दूसरे लॉकडाउन के समाप्त होने के लगभग तीन वर्ष पश्चात भवन हस्तांतरित किया गया था।

5.3 औषधि परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

आयुष चिकित्सा पद्धति में लोगों का विश्वास बनाये रखने के उद्देश्य से आयुष औषधियों का परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। लेखापरीक्षा के दौरान राज्य में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी पाया गया, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

5.3.1 राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ का अल्प उपयोग

औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ- राज्य की एक मात्र औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ.प्र., लखनऊ के अधीन कार्य करती है (होम्योपैथिक औषधि के लिए ऐसी कोई प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नहीं की गई है) जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में राज्य के औषधि निरीक्षकों/क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग आदि द्वारा उपलब्ध कराए गए आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के

नमूनों को परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। **चार्ट-4** में दिए गए विवरण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में प्राप्त एवं परीक्षण किए गए आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के नमूनों की वर्षवार स्थिति प्रदर्शित करते हैं:

चार्ट-4: आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में प्राप्त, सफल और विफल नमूने

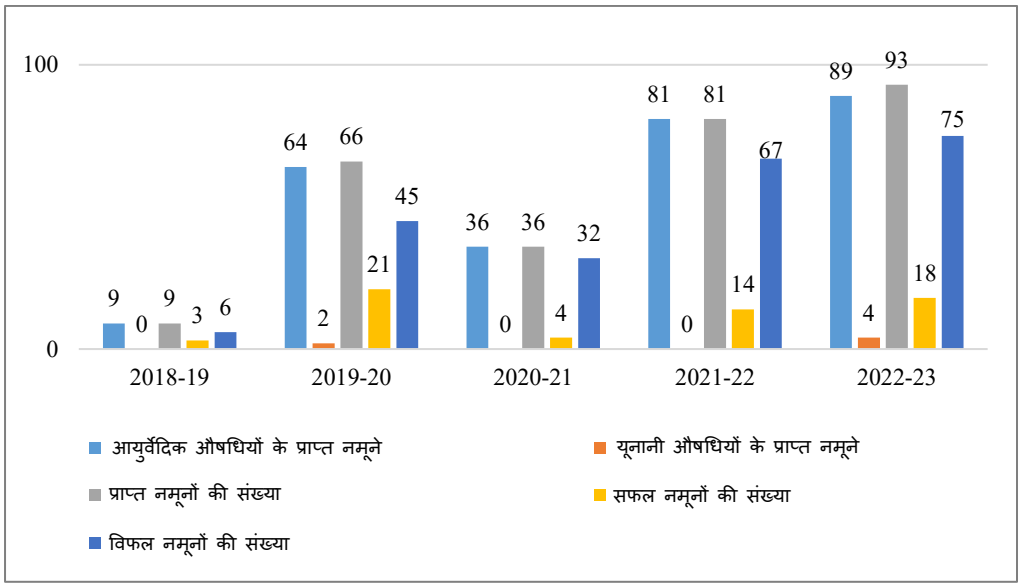

(स्रोत: औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ द्वारा उपलबद्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने 2018-19 से 2022-23 के मध्य लगभग एक नमूना प्रति सप्ताह का परीक्षण किया। न तो सरकार ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया और न ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ ने नमूनों के परीक्षण के लिए स्वयं कोई मानदंड निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ का अल्प उपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के निर्माण और बिक्री के लिए उत्तरदायी हैं| लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि में केवल 21 जनपदों[5] के औषधि निरीक्षकों ने परीक्षण हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को नमूने भेजे थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/ औषधि निरीक्षकों को औषधियों के नमूनों

[5] 2018-19: 3 जनपद; 2019-20: 7 जनपद; 2020-21: 9 जनपद; 2021-22: 8 जनपद; 2022-23: 10 जनपद।

के संग्रह और आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के लिए निर्देश (जनवरी 2025) निर्गत किए।

- शासन ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा स्थानीय रूप से क्रय की गई औषधियों के नमूनों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में परीक्षण हेतु प्रेषित करने को अनिवार्य नहीं बनाया। फलस्वरूप, स्थानीय निधि से क्रय की गई औषधियाँ गुणवत्ता जांच के बिना रोगियों को उपलब्द्ध करायी गईं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का उच्च विफलता प्रतिशत (66.66 प्रतिशत से 88.88 प्रतिशत) निम्न गुणवत्ता वाली औषधियों के प्रति उपभोक्ताओं के जोखिम का द्योतक है|
- भारत सरकार ने 2018-19 और 2019-20 के प्रत्येक वर्ष के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण घटक के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में मानव संसाधनों के लिए ₹ 25-25 लाख की धनराशि प्रदान की जिसका उपभोग नहीं किया गया। इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ के लिए मानव संसाधन मद में कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ का एकमात्र कर्मचारी, जो राजकीय विश्लेषक[6] का कार्यभार संभाल रहा था, अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हो गया।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, औषधि निर्माण इकाइयों की जांच करने एवं अधोमानक औषधियों के प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं (जनवरी 2025); स्थानीय रूप से क्रय की गई औषधियों की परीक्षण रिपोर्टें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं अथवा इन औषधियों का परीक्षण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है; तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि के अधीन संबंधित पद-सृजन के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रगति में है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2018-19 से 2022-23 की अवधि में 75 जनपदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों ने प्रति वर्ष 3 से 10 जनपदों के नमूने (कुल 21 जनपद) ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किये जो इंगित करता है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों ने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों पर ही भरोसा किया।

---

[6] दिनांक 21 अगस्त 2018 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला , लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार कनिष्ठ विश्लेषक को दिया गया।

5.3.2 प्रयोगशाला भवन का विलम्ब से निर्माण किया जाना

शासन ने यूनानी औषधि निर्माणशाला के प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए ₹ 1.18 करोड़[7] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2018) प्रदान की कार्यदायी संस्था (उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ) के साथ निष्पादित समझौता-ज्ञापन (सितंबर 2018) में कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 महीने निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2018, जुलाई 2018 और जनवरी 2020 में क्रमशः ₹ 1.00 लाख, ₹ 103.10 लाख और ₹ 13.91 लाख (कुल: ₹ 1.18 करोड़) की धनराशि अवमुक्त[8] की, जिसे अधीक्षक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ को निर्गत किया गया। यद्यपि उक्त कार्य 4 वर्षों से अधिक विलम्ब से नवंबर 2023 में पूर्ण किया गया।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (जनवरी 2025)|

5.3.3 औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के उच्चीकरण पर अलाभकारी व्यय

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन और उपकरणों के उच्चीकरण के लिए अनावर्ती तथा अभिकर्मकों, रसायनों, जनशक्ति आदि के लिए आवर्ती अनुदान दिया जाता है। बजट मैनुअल के अध्याय 1 के प्रस्तर 12 में प्रावधानित है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक धन से व्यय के संबंध में उसी प्रकार की सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतेगा।

भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹ 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। राज्य आयुष सोसायटी ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन के उच्चीकरण और उपकरणों के क्रय के लिए क्रमशः ₹ 69.67 लाख (अगस्त 2020) और ₹ 33.33 लाख (जनवरी 2020) की धनराशि हस्तांतरित की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

---

[7] यूनानी सेवा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और आयुष विभाग द्वारा गठित (जुलाई 2017) समिति के द्वारा आंकलित लागत के आधार पर, नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कार्य की अनुमानित लागत ₹ 118.28 लाख के सापेक्ष।

[8] अधीक्षक ने मार्च 2018, सितम्बर 2018, मार्च 2019 और फरवरी 2020 के महीनों में ₹ 1.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 53.10 लाख और ₹ 13.91 लाख अवमुक्त किए।

- उत्तर प्रदेश शासन ने उच्चीकरण कार्य के लिए प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को कार्यदायी संस्था नामित किया (फरवरी 2019)। प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन ने ₹ 69.94 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया (अगस्त 2020) जिसके सापेक्ष ₹ 61.92 लाख की धनराशि अनुमोदित[9] की गयी। राज्य आयुष सोसायटी के निर्देश (सितंबर 2021) पर निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं ने राज्य आयुष सोसायटी को धनराशि समर्पित कर दी (सितंबर 2021), तत्पश्चात राज्य आयुष सोसायटी द्वारा प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को ₹ 61.92 लाख की व्यय सीमा निर्गत की गई (अक्टूबर 2021) जिसका उपयोग औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के उच्चीकरण में किया गया (जुलाई 2022)।
- राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, लखनऊ को ₹ 30.33 लाख मूल्य के 16 आवश्यक उपकरणों की सूची प्रेषित की थी। प्रस्ताव को राज्य आयुष सोसायटी को अग्रेषित किया गया (जनवरी 2020), किन्तु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए कोई उपकरण क्रय नहीं किया गया। राज्य आयुष सोसायटी के अनुरोध पर (सितंबर 2021), निदेशक ने सभी धनराशियाँ राज्य आयुष सोसायटी को समर्पित कर दीं (सितंबर 2021)। परिणामस्वरूप, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए कोई उपकरण क्रय नहीं किया गया।

उपरोक्त यह इंगित करता है कि यद्यपि स्वीकृति के पाँच साल से अधिक अवधि के पश्चात भवन के उच्चीकरण का कार्य पूरा हो गया (जुलाई 2022) फिर भी प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय न किये जाने के कारण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन के उच्चीकरण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 61.92 लाख निष्फल रही। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

- निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, लखनऊ ने औषधियों के नमूनों में भारी/अन्य धातुओं की जाँच के लिए ₹ 40.91 लाख की लागत से एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय किया (दिसंबर 2010) जिसे औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को आपूर्त किया गया। तथापि मशीन का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.91 लाख का व्यय अलाभकारी हुआ।
- अधीक्षक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला ने 'आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला के उच्चीकरण के अंतर्गत ₹ 21.20 लाख की लागत से एक ब्लिस्टर मशीन (ब्लिस्टर पैकेट/स्ट्रिप बनाने के लिए) मेसर्स इस्पा ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ से क्रय की (सितंबर 2018)।

[9] महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ द्वारा की गई तकनीकी जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 61.92 लाख हेतु।

तकनीकी मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण उक्त मशीन कभी उपयोग में नहीं लायी गई।

उपरोक्त से यह स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक धन को व्यय करते समय उचित सावधानी नहीं बरती गयी।

महानिदेशक, आयुष ने स्वीकार किया (नवंबर 2024) कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण होने और उसके पश्चात उक्त घटक के समाप्त हो जाने के कारण उपकरणों का क्रय नहीं किया गया| शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि पूर्व में क्रय की गई मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि उन्हें क्रियाशील किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर से स्पष्ट है कि भवन के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ का सुद्धरीकरण विलम्ब से हुआ और मशीनों का क्रय तत्कालिक आवश्यकता का आंकलन किए बिना किया गया।

संक्षेप में, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ को 388 आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 130 आयुर्वेदिक और 85 यूनानी औषधियों की सूची को, जिन्हें आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में उत्पादित किया जाना था, स्वीकृति दी (सितंबर 1999 और अप्रैल 2018)। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला ने उक्त सूची के सापेक्ष प्रति वर्ष औसतन 25 आयुर्वेदिक औषधियों (19.23 प्रतिशत) और 18.4 यूनानी औषधियों (21.65 प्रतिशत) का उत्पादन किया, जिनमें से औसतन 16 औषधियां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं थीं। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उत्पादित आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि, संख्या के संदर्भ में 59.94 प्रतिशत थी जबकि मात्रा के सन्दर्भ में 51.35 प्रतिशत थी| औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ, राज्य की एकमात्र राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के नमूनों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1987 में स्थापित की गई थी। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रति सप्ताह लगभग एक नमूने का परीक्षण किया। नमूनों की जाँच के लिए न तो सरकार ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हेतु

और न ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने स्वयं के लिये कोई मानदंड निर्धारित किए। इसके परिणामस्वरूप औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का कम उपयोग हुआ। अधिकांश औषधि निरीक्षक, औषधियों के नमूने जाँच के लिए नहीं भेजते थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केवल 21 जनपदों के औषधि निरीक्षकों ने ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए नमूने भेजे। लेखापरीक्षा के उपक्रम पर, शासन ने सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों/औषधि निरीक्षकों को औषधियों के नमूने एकत्र करने और आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश निर्गत किये (जनवरी 2025)।

अनुशंसा 7: आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य औषधि निर्माणशाला को पर्याप्त बजट और आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अनुशंसा 8: औषधि निरीक्षकों के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधियों के नमूने भेजने हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।